राजेश कुमार, भा0प्र0से0, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा दिनांक–27.08.2025 को बिहार विधान सभा आम चुनाव–2025 के मतदान केन्द्रों पर आश्वस्त न्यूनतम सुविधायें (AMF) एवं CAPF के आवासन हेतु व्यवस्था तथा वाहनों की आपूर्ति की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम आश्वस्त बुनियादी सुविधाएँ (AMF) तथा अन्य मामलों से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं पर विभाग-वार समीक्षा की गई:-

- पेयजल
- शौचालय
- विद्युत आपूर्ति
- फर्नीचर
- रैम्प
- साईनेज
- शेड
- अन्यान्य

उक्त न्यूनतम आश्वस्त बुनियादी सुविधा के बिन्दुओं पर की गई समीक्षा के क्रम में निम्नांकित स्थिति दृष्टिगत हुआ :-

- **<u>शिक्षा विभाग</u>**- जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बताया गया कि किसी भी मतदान केन्द पर कोई भी समस्या नहीं है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा को निदेश दिया गया कि उक्त सभी मतदान केन्द्र का स्थलीय जाँच कराते हुए संबंधित विभागवार प्रतिवेदन उपलब्ध करावें कि उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या बूथ पर नहीं है। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा बताया गया कि मुरहो पंचायत अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय है जो कि नारायण पट्‌टी, मधेपुरा में पड़ता है। क्षतिग्रस्त होने के कारण प्राथमिक विद्यालय को किसी अन्य जगह Shift किया गया है, लेकिन बूथ अभी भी वहीं पर है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि भवन मतदाताओं के लिए भी सुरक्षित होना चाहिए। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा वरीय पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय, नारायण पट्‌टी, मधेपुरा का स्थलीय जाँच करायेंगे। एवं स्कूल के भवन से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे। साथ ही रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया जाए कि ''हम इसको प्रमाणित करते हैं एवं रिपोर्ट सही है''।
- **<u>पंचायती राज विभाग</u>**- उपनिदेशक पंचायती राज विभाग, सहरसा के द्वारा बताया गया कि सभी मतदान केद्रों पर शौचालय/पानी/बिजली की कोई समस्या नहीं है। किसी-किसी जगह पर Furniture की कमी है। इस संबंध में उक्त समस्या का ससमय निराकरण कराते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है कि किसी भी प्रकार की समस्या बूथ पर नहीं है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया जाए कि ''हम इसको प्रमाणित करते हैं एवं यह रिपोर्ट सही है''।
- **<u>कल्याण/समाज कल्याण विभाग</u>**– सभी मतदान केन्द्रों पर सभी सुविधायें/व्यवस्थाएँ तय तिथि तक पूरा करने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के प्रतिनिधियों को मतदान केन्द्रों का भौतिक रूप से स्थल सत्यापन करने का निदेश दिया गया।
- **<u>विद्युत विभाग</u>**– जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा बताया गया कि किसी भी मतदान केन्द्र पर कोई भी समस्या नहीं है। बांध के अंदर वाले जो 21 बूथ है, उनके लिए भी जेनरेटर की व्यवस्था कर ली गई है।

इस संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या बूथ पर नहीं है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया जाए कि '' हम इसको प्रमाणित करते है एवं यह रिपोर्ट सही है'' ।

- **कल्याण विभाग–** उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा को मतदान केन्द्रों का भौतिक रूप से स्थल सत्यापन कर अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- **भवन/कृषि/सहकारिता एवं अन्य विभाग–** सभी संबंधित विभाग जहाँ मतदान केन्द्र अवस्थित है, उन सभी मतदान केन्द्रों पर उपरोक्त सभी सुविधाओं का ससमय निस्तार कराते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- **परिवहन विभाग–** संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, कोशी प्रमंडल, सहरसा को निदेश दिया गया कि वाहन संबंधी समस्या का Review कर लें। एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा से संपर्क स्थापित कर निबंधित वाहनों की सूची प्राप्त करें तथा अतिरिक्त वाहनों की सूची के साथ यह प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि कोई वाहन सूची में नहीं छूटा है।

❖ **बैठक में समीक्षोपरांत निम्न निदेश दिया जाता है:-**

- सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी, जिनके अधीन भवनों में मतदान केंद्र अवस्थित है, सभी मतदान केंद्रों पर Physical Verification कर सभी आश्वस्त बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को हर हाल में 05 सितम्बर तक आश्वस्त न्यूनतम बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करा दिया जाय।
- सभी कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडलों को निदेश दिया जाता है कि जितने भी मतदान केंद्रों (चलंत मतदान केंद्रों सहित) पर बिजली की व्यवस्था नहीं है अथवा बिजली की आपूर्ति में समस्या है, वहाँ Physical Verification कर 05 सितम्बर तक अचूक रूप से बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- बैठक में उपस्थित सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने जिले के निबंधित वाहनों की सूची तैयार करें तथा 2 दिनों के अंदर अतिरिक्त वाहनों की सूची के साथ यह प्रमाण पत्र दें कि कोई वाहन सूची में नहीं छूटा है।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 6803 /निर्वा0 सहरसा,दिनांक 28.08.25

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा एवं उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/उप निदेशक कल्याण/उप निदेशक, पंचायत राज, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त बैठक में समेकित प्रतिवेदन के साथ ससमय भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः- जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल/विधुत, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/8/25.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।